(151)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 271–पीबीआर/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–09–2005 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 217/1991–92/स्व.निग.

.....

1–अयोध्याप्रसाद पुत्र राजाराम

2–रमेश कुमार पुत्र अयोध्याप्रसाद

निवासीगण ग्राम ऐराया तहसील भितरवार

जिला ग्वालियर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–टुकरिया पुत्र ग्यासिया जाटव(मृत वारिसान :–)

(1)रामसिंह पुत्र टुकरिया

(2)भारतसिंह पुत्र टुकरिया

(3)यशोदा पत्नी टुकरिया

2–जीवनलाल पुत्र ओछा जाटव (मृत वारिसान :–)

(1)बाबूलाल पुत्र जीवनलाल

3–अन्तराम पुत्र ओछा जाटव (मृत वारिसान :–)

(1)रामहेत पुत्र अन्तराम

(2)गोकुल पुत्र अन्तराम

(3)उत्तम पुत्र अन्तराम

4–रामशरण पुत्र ओछा जाटव

निवासीगण ग्राम ऐराया तहसील भितरवार

जिला ग्वालियर

5–मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर

..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री बी0एन0त्यागी, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 5

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 25/1/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–9–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अपर आयुक्त द्वारा कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर जिला ग्वालियर के प्रकरण कमांक 68/75–76/अपील एवं 69/75–76/अपील में पारित एकजाई आदेश को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर दिनांक 30–9–2005 को आदेश पारित किया जाकर आवेदकगण को 54– 54 एकड़ भूमि की पात्रता मान्य करते हुये 6.188 एकड़ भूमि अतिशेष घोषित की गई है । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि धारक दुर्गाबाई की मृत्यु होने के पश्चात् उसके पक्ष में पारित आदेश को पुनः खोलने में अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि धारक की मृत्यु के पश्चात् उसके द्वारा धारित भूमि को वारिसानों के खाते में जोडकर आदेश पारित करने में अपर आयुक्त द्वारा विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है, क्योंकि धारक की मृत्यु के उपरांत विधिवत् वारिसानों के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किया जायेगा तत्पश्चात् कार्यवाही की जायेगी । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा आधिपति कृषक के संबंध में भी विधिनुकूल निष्कर्ष नहीं निकाले जाकर मनमाने निष्कर्ष निकालकर आदेश पारित

किया गया है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 5 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा मध्यप्रदेश कृषि जो उच्चतम सीमा अधिनियम की धारा 6(बी) के अन्तर्गत आधिपति कृषक द्वारा धारित भूमि 2.172 एकड़ को शून्यवत् घोषित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, क्योंकि धारक दुगाबाई की मृत्यु हो चुकी है, इसलिये उसके दोनों पुत्रों को पृथक–पृथक इकाई मानकर 54 – 54 एकड़ भूमि की पात्रता मान्य करते हुये 6.188 एकड़ भूमि अतिशेष घोषित की गई है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–9–2005 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर